

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(PHED)2019/एफसीए/प्रमुवसं/ 2475

दिनांक 26.8.21

शासन सचिव
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-Diversion of 0.9406 ha. of forest land in foavour of
SUPERINTENDING ENGINEER PHED PROJECT
CIRCLE JAIPUR CITY JAIPUR for Laying of Pipe Line
Water Supply Project, At Village Amer, Project Division-II
(Notrh), PHED, Jaipur (Rajasthan)
(प्रस्ताव सं. FP/RJ/WATER/42602/2019)

संदर्भ:-राज्य सरकार का पत्रांक पं. 1(40) वन/2020 दिनांक 28.04.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में चाही गई सूचना उप वन
संरक्षक, जयपुर के पत्र कमांक 5651 दिनांक 27.07.2021 (संलग्न) से प्राप्त कर आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(PHED)2019/एफसीए/प्रमुवसं/ 2476-79 दिनांक 26.8.21
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, जयपुर।

(भवानी सिंह)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक जयपुर

ग्रास फार्म नर्सरी, खातीपुरा रोड जयपुर

क्रमांक एफ (3)/एफसीए/उवसंज/2021-22/ 5651

दिनांक 27/7/2021

निमित्त:- मुख्य वन संरक्षक
जयपुर।

विषय:- प्रस्ताव संख्या एफ पी/आर.जे./वाटर/42602/2019 की
स्वीकृति के सम्बंध में।

सन्दर्भ :- अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना
खण्ड द्वितीय(उत्तर) जयपुर का पत्रांक 1064-1067 दिनांक 23.07.2021
एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी आमेर के पत्रांक 387 दिनांक 26.07.2021 के
कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रस्ताव संख्या एफ पी/आर.जे./
वाटर/42602/2019 की स्वीकृति हेतु आप द्वारा पम्प हाउस के निर्माण के सम्बंध में विस्तृत
सूचना चाही गई थी। आप द्वारा चाही गई सूचना के सम्बंध में अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य
अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड द्वितीय(उत्तर) जयपुर ने सन्दर्भित पत्र के जरिये स्थानीय जन
प्रतिनिधियों के प्रार्थना पत्र एवं निवासियों के बयानात(प्रति सलंगन) से यह अवगत करवाया है कि
पम्प हाउस का निर्माण कार्य लगभग 1975 से 1980 के मध्य शुरू किया गया था। क्षेत्रीय वन
अधिकारी आमेर के संदर्भित पत्रानुसार उक्त पंप हाउस का निर्माण 1980 से पूर्व हो चुका था।
संदर्भित पत्रों के अनुसार प्रस्ताव में पूर्व से निर्मित पम्प हाउस वन संरक्षण अधिनियम 1980 के
उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता है।

अतः प्राप्त पत्र मय स्थानीय निवासियों के बयान एवं जन प्रतिनिधियों के प्रार्थना पत्र की
प्रतिलिपि सलंगन कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु चार प्रतियों में प्रेषित है।

सलंगन :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(वीर सिंह आला)
उप वन संरक्षक

O/L जयपुर

Sus